सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय,म.प्र

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

विषय:- दिनांक 27 नवम्बर 2024 को आयोजित विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यवाही विवरण।

--0--

दिनांक 27 नवम्बर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंसिंग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के अतिरिक्त लोक सेवा केन्द्रों पर प्राप्त विभाग की योजनाओं के लंबित आवेदनों को भी प्रमुखता से समीक्षा हेतु लिया जा रहा है।अत: समस्त जिले लोक सेवा केन्द्रो पर प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करायें।
2. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभागीय जिला अधिकारी के mpedistrict.gov.in पोर्टल के जिलावार यूजर आई.डी पासवर्ड पूर्व से समस्त जिलों के पास उपलब्ध है,सुविधा हेतु उक्त यूजर आई.डी पासवर्ड पुन: ईमेल पर उपलब्ध कराये गये हैं।
3. समस्त जिला अधिकारी नियमित रूप से उक्त पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करें व नियमानुसार निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करायें, जिससे भविष्य में समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो।
4. समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तर से निराकृत होने वाली शिकायतें लेवल 4 पर ना पहुचे।जिला स्तर से निराकृत होने वाली शिकायत बिना किसी उचित कार्यवाही के वरिष्ठ स्तर पर पहुचने पर संबंधित जिला/निकाय में पदस्थ अधिकारी के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।
5. शिकायतों में लेवल 1 एवं 2 पर अनिवार्यत: निराकरण दर्ज करें, निराकरण में किये गये समाधान का स्पष्ट विवरण हों एवं समग्र आईडी को अनिवार्यत: दर्ज किया जाये।बिना निराकरण दर्ज हुये लेवल 3 अथवा 4 पर नही पहुचनी चाहिये।
6. बिना अंतिम एवं वास्तविक निराकरण किये शिकायत को मांग/सुझाव क्लोजर या स्पेशल क्लोज ना किया जाये।
7. शिकायत का स्पेशल क्लोज करने के पूर्व शासन के समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना की 619 शिकायतों में से वर्तमान में लंबित 62 शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. लेवल 4 पर लंबित शिकायतों में जिलेवार समीक्षा की जाकर निराकरण करने एवं भविष्य में शिकायतें लेवल 4 पर ना पहुचने के संबंध में निर्देशित किया गया।
10. 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई एवंशिकायतों का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।
11. डिण्डोरी, सतना एवं आगर मालवा जिले में शिकायत क्रमांक क्रमश: 21619589, 21905650एवं 22142590 पेंशन योजना से संबंधित शिकायतें 500 दिवस से अधिक समय से लंबित हैं उक्त जिलों को तत्काल उक्त शिकायतों का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाये, संचालनालय स्तर से यदि कोई कार्यवाही अथवा सहयोग अपेक्षित है, तो संचालनालय के संबंधित अनुभाग प्रभारी से सतत् समन्वय करते हुये निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
13. स्पर्श पोर्टल पर दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के जिला बालाघाट, राजगढ, छिंदवाडा, मंदसौर, सीहोर, छतरपुर, रीवा, विदिशा एवं खरगौन इत्यादि जिलों में बहुत अधिक संख्या में प्रकरण लंबित है, जिन पर जिला कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिला अधिकारी पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की समीक्षा नियमित रूप से नहीं कर रहे है,जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है।

14. इसी प्रकार विवाह पोर्टल पर मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई,जिला छतरपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, सागर, भोपाल एवं रीवा इत्यादि जिलों में कल्याणी विवाह योजना अंतर्गत भी बहुत अधिक संख्या में प्रकरण लंबित पाये गये, कुछ प्रकरणों में बिना पोर्टल पर स्वीकृति के ही भुगतान किया गया है, जबकि संचालनालय के स्पष्ट निर्देश है कि भुगतान पोर्टल पर स्वीकृति के उपरांत ही किया जाये।

15. आगामी विभागीय VC दिनांक 11/12/2024 के पूर्व समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये,उक्त दिनांक के उपरांत पोर्टल पर बिना कार्यवाही के प्रकरण लंबित होने पर जिला अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी एवं किसी भी अप्रिय परिस्थिति के लिये जिला अधिकारी / जिला समन्वयक (संबंधित समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी) पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

16. पेंशन पोर्टल पर इंदौर, भोपाल ,रीवा ,सागर उज्जैन, सीधी, धार, बडवानी , सतना एवं मुरैना जिलों में पेंशन योजना के लंबित आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, साथ ही आवेदनों की स्वीकृति हेतु Digital Signature के लिये भी लंबित है, सभी जिला एवं निकाय के समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भलीभांति अवगत है कि पेंशन पोर्टल पर बिना Digital Signature के पेंशन हितग्राही को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है,अतः लंबित प्रकरणों पर आगामी 15 दिवस में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही DSC हेतु लंबित प्रकरणों में DSC लगाई जाये। पेंशन पोर्टल पर आवेदन लंबित होने अथवा DSC नहीं होने की स्थिति में संबंधित समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जिम्मेदार होंगे ।

17. पेंशन हितग्राहियों के असफल भुगतान की समीक्षा की गई,जिला इंदौर, मंदसौर, डिण्डौरी, सागर, भिंड, बडवानी, रतलाम, बैतूल एवं आगर मालवा इत्यादि जिलों के स्थानीय निकायों में कुछ प्रकरणों में विगत कुछ माहों से सतत् असफल भुगतान हो रहा है किंतुसमग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को बार-बार निर्देशित किये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा असफल भुगतान हुये प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे प्रकरण 6 माह से अधिक समय से सतत् असफल हो रहे है, बैंक द्वारा प्रदाय रिस्पांस के आधार पर भी समग्र अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। माह दिसम्बर 2024 का पेंशन प्रपोजल लॉक होने से पूर्व समस्त असफल भुगतान पर समग्र अधिकारी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, मृत हुये प्रकरणों की पेंशन बंद भी की जाये।

18. आधार ई-केवायसी के उपरांत अपात्र चिन्हित किये गये हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन जिला सतना,मुरैना, भिंड, दतिया, नीमच, बालाघाट शिवपुरी, इंदौर, सीधी, कटनी एवं बैतूल जिला द्वारा आज दिनांक तक शत-प्रतिशत सत्यापन की रिपोर्ट पोटल पर दर्ज नहीं की गई है। समस्त स्थानीय निकाय शत-प्रतिशत सत्यापन की रिपोर्ट दर्ज करना सुनिश्चित करें साथ ही पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार एरियर में शामिल किये जाने की कार्यवाही समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें।

19. जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव ई-अनुदान पोर्टल पर ऑनलाईन (Online) करने के उपरांत सभी दस्तावेजों की हार्डकॉपी संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

20. Addiction Treatment Facility (ATF Centres)28 गैप जिलो के जिला अस्पताल में खोले जाने हेतु NDDTC, AIIMS नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजने एवं संचालनालय को 01 प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

21. अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र IRCA, ODIC, CPLI एवं DDAC के केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2024-25 के सभी जिले नवम्बर माह में प्रस्ताव ऑनलाईन करवाकर, हार्ड कॉपी संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु एवं प्रदेश में नशामुक्ति के क्षेत्र में संचालित आवासीय तथा गैर आवासीय प्रचार-प्रसार संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराये जाने निर्देशित किया गया। तदनुसार कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित की जाये।

22. 31 मई 2024 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस तथा 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस कार्यक्रमों के आयोजन हेतु समस्त जिलो को प्रदाय बजट आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए।

23. जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्र में संचालित शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का प्रत्येक त्रैमास में निरीक्षण कराया जाकर एवं गुणवत्ता ऑडिट निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया प्रथम त्रैमास की निरीक्षण रिर्पोट एवं द्वितीय त्रैमास की गुणवत्ता ऑडिट रिपोर्ट तत्काल संचालनालय को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं
दिव्यांगजनसशक्तिकरण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 29/11/2024

पृ.क्र./2024/सामान्य/93/636
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त/उप संचालक, मुख्यालय संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरणसंचालनालय म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला-समस्त, म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत म.प्र.।
9. समस्त प्रशासकीय अधिकारी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, म.प्र.।
10. जिला समग्र संयोजक/समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।

उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण, म.प्र.